



उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण विभाग

सिविल वृत्त लो.नि.वि., रुद्रप्रयाग,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
ऊखीमठ—रुद्रप्रयाग

वन भूमि
हस्तान्तरण पत्रावली

विषय:— जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

ग्राम:— चौमासी (निवत्तर)।

राजस्व उ.नि.क्षेत्र:— कालीमठ

तहसील:— ऊखीमठ

जनपद :— रुद्रप्रयाग

क्षेत्रफल:— राज्य वनभूमि 0.385 है० मोटर मार्ग हेतु

राज्यभूमि 0.370 है० मक इम्पिंग हेतु

कुल वनभूमि = 0.755 है०

29	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य जल विद्युत परियोजना नहीं है।
30	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान।	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य भवन निर्माण सम्बन्धित नहीं है।
31	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	56-58	संलग्न है	
32	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाणपत्र।	59	संलग्न है	
33	परियोजना क्षेत्रों में टॉस्कफोर्स की संस्तुतियों गान्य होने का प्रमाणपत्र	60-61	संलग्न है	
34	मानक हर्त मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	62-63	संलग्न है	
35	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व का होने का प्रमाण-पत्र।	64	संलग्न है	
36	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाणपत्र	65	संलग्न है	
37	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का ढेर/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	66	संलग्न है	
38	सम्मानित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	67	संलग्न है	
39	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेंट का प्रमाण-पत्र।	68	संलग्न है	
40	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना का प्राक्कलन मथ मानचित्र। (1 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित परियोजना 1.5 हे० से कम है।
41	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	—	—	—
42	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफी का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	—	—	—
43	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	—	—	—
44	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/दस गुना/बौनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	69A-69B	—	—
45	यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	—	लागू नहीं है	—
46	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध।	—	—	—
47	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	69C-72B	संलग्न है	—
48	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	75	संलग्न है	—
49	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	76	संलग्न है	—
50	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	77	संलग्न है	—
51	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
52	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	79	संलग्न है	—
53	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
54	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
57	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है

आवश्यक पत्रों की सूची (चैक लिस्ट)

क्र० सं०	प्रपत्र का विषय	प्रष्ठ संख्या	संलग्न है/नहीं	संलग्न न होने का कारण
1	सक्षम अधिकारी/ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी का प्रमाण-पत्र।	6-A	संलग्न है	
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1, 2 तथा भाग-3	7-10	संलग्न है	
3	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	11-15	संलग्न है	
4	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	16	संलग्न है	
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रमाणीय बनाविकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (Site Inspection Report)	17	संलग्न है	
6	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफिक मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अलग-अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	18	संलग्न है	
7	डिजिटल मैप व सीडी/डी में प्रस्तावित क्षेत्र को जी०पी०एस० रिडिंग के साथ दर्शाया गया हो।	19	संलग्न है	
8	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।	20	संलग्न है	
9	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	21-22 20-A	संलग्न है	
10	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक संरक्षण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।		संलग्न है	
11	वैकल्पिक संरक्षण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	22-28	संलग्न है	
12	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	29	संलग्न है	
13	प्रभावित भूमि का लैंड सैड्यूल।	30-31	संलग्न है	
14	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	32	संलग्न है	
15	बार चार्ट।	33	संलग्न है	
16	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	34	संलग्न है	
17	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण।	35-39	संलग्न है	
18	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन/सारांश।	41-43	संलग्न है	
19	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	40	संलग्न है	
20	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण-पत्र।	44	"	
21	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
22	न्यूनतम वृक्षों के पालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	45	संलग्न है	
23	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र।	47-48	"	
24	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	48 B	"	
25	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा० उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग राष्ट्रीय पार्कों/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।
26	प्रभावित ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	49	संलग्न है	
27	लागत लाग विश्लेषण। (5 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग 5 हे० से कम है।
28	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र	50-	संलग्न है	

फैक्ट सीट

1-परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्त तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

2-प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है० में)

आरक्षित वन भूमि	शून्य
राज्य वनभूमि	0.385 मोटर मार्ग हेतु + 0.370 मक इम्पिंग हेतु = 0.755
नाप भूमि	0.405
वन पंचायत भूमि	शून्य
योग	1.16

3-प्रस्तावक विभाग का नाम - निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ

4-वन प्रभाग का नाम - रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग

5-प्रस्ताव बाँडिंग किया गया है- हाँ/नहीं

6-प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है - हाँ/नहीं

7-क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1,2, व 3 के सभी

बिन्दुओं की सूचना भरी गई है - हाँ/नहीं

8- क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है- हाँ/नहीं

9-प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है- हाँ/नहीं

10- प्रस्तावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची /प्रमाण-पत्र संलग्न है-

11-बाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय

निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है- हाँ/नहीं

12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्याधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम

करने का प्रयास किया गया है- हाँ/नहीं

- 13-समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है - ☒ हाँ / ☐ नहीं
- 14-क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है- ☒ हाँ / ☐ नहीं
- 15-क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है - ☒ हाँ / ☐ नहीं
- 16-क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है- ☒ हाँ / ☐ नहीं
- 17-प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है- ☒ हाँ / ☐ नहीं
- 18-क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं- ☒ हाँ / ☐ नहीं
- 19-प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है- ☒ हाँ / ☐ नहीं
यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण-पत्र संलग्न है - ☒ हाँ / ☐ नहीं
- 20-क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है ☒ हाँ / ☐ नहीं
- 21-प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है-
(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)
नया है
- 22-क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है - ☒ हाँ / ☐ नहीं
- 23-यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है - ☒ हाँ / ☐ नहीं
- 24-क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है - ☒ हाँ / ☐ नहीं
- 25-यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।
- 26-सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं- ☒ हाँ / ☐ नहीं
- 27-वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)।

28-लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है

(5.00 है.से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)

29-मानचित्र व वारचार्ट में एकरूपता है

30-मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है

31-राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है

32-क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां भूल में संलग्न है यदि छायाप्रतियां संलग्न की गई हैं तो क्या वे स्थापित हैं-

33-यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है-

34-वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है-

35-क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है-

36-क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है-

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैंकट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र / सूचनाएँ संलग्न कर दी गई हैं।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लोकनिवि
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लोकनिवि
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

अधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लोकनिवि
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

वन विभागीय अधिकारी
गुप्तकाशी वन क्षेत्र

उपप्रभागीय वनाधिकारी
लुम्बिनी उप वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

पत्रांक /

सेवा में,

दिनांक / / 2015

श्री बी.सी. भण्डारी,
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ।

विषय:-

वनभूमि से सम्बन्धित मार्ग/सेतु के प्रकरणों को ऑन लाईन अपडेट किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में सूचित करना है कि इस खण्ड के अर्न्तगत विभिन्न मार्गों/सेतुओं के वन भूमि पत्रावलियों को ऑनलाईन अपडेट किया जाना है जैसा कि दिनांक 15 अगस्त से ऑनलाईन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अतः खण्ड से सम्बन्धित प्रकरणों का ऑन लाईन प्रत्येक दिन किये जाने हेतु खण्ड की ओर से आपको मनोनित किया जाता है।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

दिनांक / / 2015

पत्रांक /

प्रतिलिपि:-

श्री अंकित सुन्दरियाल कनिष्ठ अभियन्ता, लो.नि.वि., ऊखीमठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रत्येक दिन ऑनलाईन देखकर उसमें अंकित कमियों को सहायक अभियन्ता श्री बी.सी.भण्डारी को अवगत करवाये।

प्रतिलिपि:-

अमीन को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं० 5150/III(2)/10-18(प्रा०आ०)/2010 दिनांक 16-08-2010 के द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत 1.50 कि०मी० हेतु मात्र रु. 18.90 की स्वीकृत प्राप्त हुयी है, जिसके द्वारा ग्राम - निवत्तर को जोड़ा जाना है। सर्वेक्षण के उपरान्त पाया गया कि ग्राम - निवत्तर मात्र 1.00 कि०मी० मोटर मार्ग से ही जुड़ जायेगा। अतः अतिरिक्त 0.500 कि०मी० मोटर मार्ग की आवश्यकता नहीं है, इस 1.00 कि०मी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का विवरण निम्नवत् है।

क्र.सं.	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (है. में)
1	आरक्षित वन भूमि			
2.	राज्य वन भूमि	550	7	0.385 + 0.370 = 0.755
3.	वन पंचायत भूमि अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो)			
	वन भूमि का योग:-	550	7	0.755
4.	नाप भूमि	450	9	0.405
	कुल योग:-	1000	-	1.16

अतः 1.50 कि०मी० मोटर मार्ग के सापेक्ष 1.00 कि०मी० मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं, ताकि वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात् मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सके।


अमीन

निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

परिशिष्ट
(दिए नियम -6)

फार्म- 'क'

1. सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण

- | | | | |
|-------|---|----|--|
| (i) | अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। | :- | जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। हेतु सिविल वन भूमि हस्तान्तरण |
| (ii) | 1:500000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला डिजिटल मैप। | :- | संलग्न |
| (iii) | परियोजना लागत। | :- | 18.90 लाख |
| (iv) | वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। | :- | ग्राम चौमासी, निवृत्तर एवं उसके नजदीकी गाँवों को यातायात आवगमन की सुविधा देना लागू नहीं है। |
| (v) | लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)। | :- | 4725 मानव दिवस |
| (vi) | रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। | :- | मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.755 है। राज्य वन भूमि की आवश्यकता है। |
| 2- | कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण। | :- | शून्य |
| 3- | परियोजना के कारण लोगों का हटाने का विवरण, यदि कोई है। | :- | शून्य |
| | (i) परिवारों की संख्या। | :- | शून्य |
| | (ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या। | :- | शून्य |
| | (iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने लिए)। | :- | शून्य |
| 4- | क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं) | :- | मार्ग कार्य निर्माण प्रारम्भ नहीं किया गया है राज्य वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति आवश्यक है। |
| 5- | प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुसंधान और/या दण्डसवरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए) | :- | संलग्न |
| 6 | निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों का तैयार। | :- | विषय सूची के अनुसार संलग्न है |

तिथि... 13.02.2015
स्थान ... D.Khi math.

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ जोड़ल अधिकारी द्वारा भरा जाना है)

(प्रवीन कुमार)
अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोजिनिवि
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य वन संख्या.....
7. परियोजना/स्कीम का स्थान

- | | | | |
|--------|--|---|---|
| (i) | राज्य/संघ शासित क्षेत्र। | - | जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्त तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। |
| (ii) | जिला | - | उत्तराखण्ड |
| (iii) | वन प्रभाग | - | रुद्रप्रयाग |
| (iv) | वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेमें) | - | रुद्रप्रयाग वन प्रभाग। |
| (v) | वन की कानूनी स्थिति | - | 0.755 हे० |
| (vi) | हरियाली का घनत्व | - | राज्य वन भूमि |
| (vii) | प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल०, एफ०आर०एल०-2 मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल०-4 मीटर भी संलग्न किए जाए)। | - | 0.20 |
| (vii) | भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | - | सूची संलग्न है। |
| (viii) | वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | - | भूक्षरण की सम्भावना नहीं है। |
| (x) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणी अनुबद्धित की जाए) | - | नहीं |
| (xi) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और जंगलजात की दुर्लभ/संकटापन्न विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि हां/ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें। | - | नहीं |
| (xii) | क्या कोई सुरक्षित पुरात्त्वतीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें। | - | नहीं |
| 8- | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है। | - | प्रस्तावित भूमि न्यूनतम है व प्रमाण पत्र संलग्न है। |
| 9- | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अपेक्ष, दोषों अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का व्यौरा दे क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं। | - | मार्ग निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है। अतः कोई उल्लंघन नहीं है। |
| 10- | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा | - | संलग्न |
| (i) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अद्वितीय वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक | - | संलग्न |

- (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर /अवक्रमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। :- संलग्न
- (iii) रोपित की जाने वाली प्रजाति सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। :- संलग्न
- (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिचय। :-
- (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धी उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए) :- संलग्न
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए(संलग्न करें) :- संलग्न
12. प्रभाग /जिला प्रोफाइल :- 1984 वर्ग किमी.
- (i) जिले का वन क्षेत्र :- 1730.995 वर्ग किमी.
- (ii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र :- 145 मामले, 580.852 hae.
- (iii) 1980 से जिला /प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण :- 727.29 hae 145 हेक्ता
- (d) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- X
- (lk) वनेतर भूमि पर :-
- (v) ...2014.....तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :-
- (d) वन भूमि पर :-
- (lk) वनेतर भूमि पर :- 727.29 hae.
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। :-

उपप्रभागीय वनाधिकारी
जखौली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी

दिनांक :- 6.7.2015
स्थान:- रुद्रप्रयाग
वन अधिकारी
जखौली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-2.2

भाग III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल, जंहा की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। :-
15. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं। :-
16. प्रस्ताव को स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। :-

दिनांक:-

स्थान:-

हस्ताक्षर

नाम:-

सरकारी मोहर

प्रपत्र-2.3

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव वन स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। :-
- (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों का सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेकात्मक टिप्पणी दी जाए।) :-

हस्ताक्षर

दिनांक:-

स्थान:-

नाम:-

सरकारी मोहर

(11)

प्रपत्र-3

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/ विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिरासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

देहरादून: दिनांक: 16 अगस्त, 2010

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र/कुमायूँ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा के द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये आगणनों के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न विवरण में उल्लिखित 164 कार्यों के निर्माण पर प्रशासकीय अनुमोदन देते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्यों यथा विस्तृत आगणन का गठन, वन भूमि हस्तान्तरण, भू-अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटैन्सी आदि मदों के लिये टी0ए0सी0 विता द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रु0 2736.01 लाख (रु0 सत्ताईस करोड़ छत्तीस लाख एक हजार मात्र) पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रति कार्य रु0 0.01 लाख अर्थात् कुल रु0 1.64 लाख (रु0 एक लाख चौसठ हजार मात्र) के व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:- 1764/11(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का प्रारम्भ किया जायेगा।

3- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें बैंडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में प्रचल रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

5- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

7- स्वीकृत किये जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

48
110

अभि

410

6 AUG 2010

वि

26/8

सहायक अभियन्ता

निर्माण एवं लोक निर्माण

विभाग

20	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत बसटोला से धमान्दा तक मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	25.20	0.01
21	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत गैडखाल बासी मोटर मार्ग का कड़घटर तक विस्तार	3.00	37.80	0.01
22	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत सिलोगी घनसाली मोटर मार्ग का विस्तार	5.00	63.00	0.01
23	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत बुगा-मागधा मोटर मार्ग का विस्तार	3.00	37.80	0.01
24	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत भवासी माण्डलू मोटर मार्ग से मसोगी, कुतणी अमालू मोटर मार्ग तक मिसिंग रोड	3.00	37.80	0.01
25	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत नैरुल मोटर मार्ग का विस्तार	2.00	25.20	0.01
26	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत गूमखाल मोहनी रावत मोटर मार्ग का रिटूड तक विस्तार	2.00	25.20	0.01
27	जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के अन्तर्गत नैनीताल ब्रेबरी मार्ग के किमी 0.9 से 10.50 तक (ज्योली गॉव स्कूल) मार्ग सुधार कार्य	2.50	8.63	0.01
28	जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के अन्तर्गत बेहराबाग जन्वालगाँव सूर्यागाँव हल्का वाहने मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए पुनर्निर्माण	2.00	6.90	0.01
29	जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के अन्तर्गत ब्रेबरी मार्ग में बसूटिया से दोगड़ा तक मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण कारगिल शहीद	1.50	5.18	0.01
30	जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के अन्तर्गत ब्रेबरी मार्ग में कारगिल शहीद मुकेश जीना रा0उ0मा0वि0 से ज्योली की ओर मार्ग सुधार/डामरीकरण	1.50	5.18	0.01
31	जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा निर्मित पटुवाडांगर से कलौन दांगड़ (चोपड़ा) मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण	6.00	20.70	0.01
32	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ में बणद्वारा से काण्डई तक मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	37.80	0.01
33	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ में सिरौली से माँ अनुरूया तक मोटर मार्ग का निर्माण	1.00	12.60	0.01
34	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ में गुलाबकोटी से हेलंग तक पुराने पैदल मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन का कार्य	6.00	75.60	0.01
35	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ में डुंग्री-बिजराकोट-छिनका (कोठगधार) नोरीधार-बौला-दुगापुर पुल तक मोटर मार्ग का निर्माण	8.00	100.80	0.01
36	जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में पठलीधार-पलद्वाडी मोटर मार्ग का पुल सहित निर्माण L.S. - <i>Alu Pr</i>	2.00	25.20	0.01
37	जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में गेड़ से बस्ती गेड़ मोटर मार्ग का निर्माण L.S. - <i>Chamber</i>	1.00	12.60	0.01
38	जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में रा0उ0मा0वि0 बाड़व से आयु0 चिकित्सालय बाड़व तक मोटर मार्ग का निर्माण <i>Os</i>	1.25	15.75	0.01
39	जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में जाखधार मोटर मार्ग से गड़तरा तक मोटर मार्ग का निर्माण <i>Os</i>	1.00	12.60	0.01
40	जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में मोहनखाल-बाड़व मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य	1.00	0.16	0.01

अमीनाथ

41	जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में कथार बूँड से उधिण्ड मार्ग का डामरीकरण का कार्य <i>MS. A-P</i>	2.00	0.52	
42	जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में जाखधार-देवर मोटर मार्ग का डामरीकरण <i>MS</i>	3.00	0.48	0.01
43	जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में धुत्तू-तुलगा मोटर मार्ग का डामरीकरण <i>MS</i>	2.00	0.32	0.01
44	जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में जगारू मोटर मार्ग से बरवा मोटर मार्ग का निर्माण <i>MS</i>	1.00	12.60	0.01
45	जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में राउलैक से जगीबगवान मोटर मार्ग का निर्माण <i>MS</i>	2.00	25.20	0.01
46	जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में चौमासी से निवतार मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) <i>MS</i>	1.50	18.90	0.01
47	जनपद रुद्रप्रयाग में मस्तुरा से देड़ा प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र देड़ा मोटर मार्ग का निर्माण <i>MS</i>	2.00	25.20	0.01
48	राज्य योजना वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र काशीपुर में हेमपुर डिपो मार्ग पर मरिजद तिराहे से ग्राम रामजीपुर कालोनी की प्राथमिक पाठशाला तक डामर रोड का नवनिर्माण।	0.800	0.24	0.01
49	राज्य योजना वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र काशीपुर में ग्राम गोपीपुरा में हेमपुर डिपो मार्ग से पाण्डे कालोनी की तरफ पूर्व में लगे क्षतिग्रस्त खडंजे पर डामर रोड का निर्माण।	0.400	0.12	0.01
50	राज्य योजना वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र काशीपुर में ग्राम धनौरी पट्टी में रामनगर रोड से नहर के किनारे जीवन लाल के ट्यूबवैल तक डामर रोड का नव निर्माण कार्य।	0.700	0.21	0.01
51	राज्य योजना वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र काशीपुर में गढीइन्द्रजीत मार्ग से भण्डारी फार्म होते हुए गढीगंज मार्ग तक डामर रोड का नव निर्माण कार्य।	1.000	0.31	0.01
52	राज्य योजना वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र काशीपुर में ग्राम खरमासी में रामनगर रोड पर हनुमान कालोनी से मक्खन सिंह के घर तक क्षतिग्रस्त मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य।	0.800	0.24	0.01
53	राज्य योजना वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र काशीपुर में ग्राम खरमासी में नगिन्दर सिंह के घर के पास चौक से हरबंष सिंह के घर तक चक रोड में नाली सहित खडंजा निर्माण।	0.500	0.05	0.01
54	राज्य योजना वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र काशीपुर में ग्राम कुँआखेडा में अर्जुन सिंह के घर से जगतार सिंह के घर तक डामर रोड का निर्माण।	0.600	0.18	0.01
55	राज्य योजना वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र काशीपुर में दडियाल मार्ग से ग्रेवाल फार्म होतु हुए गन्ना मिल मार्ग तक क्षतिग्रस्त मार्ग का पुनः निर्माण	1.30	0.40	0.01
56	राज्य योजना वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र काशीपुर में रा०मा० 74 से मोटेश्वर मन्दिर होते हुए काशीपुर ढकिया खरमासा मार्ग तक डामर रोड का निर्माण	1.35	0.41	0.01
57	राज्य योजना वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र काशीपुर में ग्राम बांसखेडाकला में अलीगंज रोड पर पुलिया से रईश हुसैन के घर तक सी०सी० मार्ग का निर्माण	0.50	0.07	0.01
58	राज्य योजना वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र काशीपुर में अलीगंज रोड पर पैगा फार्म से रामशरण यादव के घर तक मार्ग का निर्माण	1.00	0.31	0.01
59	राज्य योजना वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र काशीपुर में पैगा उत्तारी में गोपाल सिंह के घर से रामस्वरूप सिंह भवानीपुरिया के घर तक डामर रोड का निर्माण	0.75	0.23	0.01

अधीनस्थ

158	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र- विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम डाक्टरगंज में मुख्य मार्ग से बरती की ओर सड़क निर्माण।	0.50	0.16	0.01
159	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र- विकासनगर के अन्तर्गत हरबटपुर में मुख्य मार्ग से डी0आर0स्कूल से होते हुये लेहमन अस्पताल की ओर सड़क निर्माण।	0.500	0.16	0.01
160	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र- विकासनगर के अन्तर्गत एटनबाग में मुख्य मार्ग से लेहमन अस्पताल तक सड़क डामरीकरण।	0.500	0.16	0.01
161	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र- विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम कटटापत्थर में बाढवाला जुड़डों मार्ग से नहर तक सड़क निर्माण।	1.200	0.37	0.01
162	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र- विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम लंघा, मुख्य मार्ग में शिशु विद्या मन्दिर तक सड़क का निर्माण।	0.500	0.16	0.01
163	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र- विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम मार्टिन डेल चिरजीपुर में बड़ी नहर से स्कूल तक सड़क निर्माण।	0.500	0.16	0.01
164	विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार के अन्तर्गत विभिन्न 38 स्थानों में मार्गों के नव निर्माण/पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य	18.75	3.03	0.01
कुल योग:-			2736.01	1.64

अधीक्षक अभियन्ता:
7 वीं ब्लाक नो 110 वि०
गोपबन्धन (घमोली)

(एक लाख चौसठ हजार मात्र)

पृ० सं०-2548/ पा० घाला - 7/11/10 दि० 20/10 (प्रदीप सिंह रावत)
प्रतिकोषि - आधिशाली अभियन्ता प्रा० नि० रकाउ लो० नि० दि० गे०
रुद्रप्रयाग। अरुवीरु का संलग्नकों की प्रति सहित अग्रिम आ
कार्यवाही हेतु पेशित।
(नं०-अपराजितमुलार)

प्रतिकोषि - आरुवीरु का अभियन्ता (प्रा०) हलीप
कार्यवाही का संलग्नकों की प्रति सहित
प्रतिकोषि - कनार का हलीप कार्यवाही का संलग्न
की प्रति सहित आषाढ कार्यवाही हेतु
(नं०-अपराजितमुलार)

सिधुवाल

27/7/19AC

9/9/10

प्रो० प्रो० प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
विमान अरु लो० नि० वि०
अरुवीरु (सदप्रवाग)

प्रतिकोषि - अरुवीरु का सड़क का निर्माण
का अरुवीरु कार्यवाही हेतु पेशित,
प्रति. क० अरुवीरु (प्रा०)

27/7/19AC

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 01/04/15 को प्रश्नगत प्रयोजन हेतु राज्य वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से पि० एस० व्यसवाल (वन दरोगा), श्री देवी प्रसाद सोला (वन प्रारक्षी) राजस्व विभाग की ओर से श्री मनोज सारवाल (रा०उ०नि०) एवं लो०नि०वि० की ओर से श्री रूपेश भार्गव (कनिष्ठ अभियन्ता), श्री दिनेश चन्द्र सेमवाल (अमीन) एवं श्री विष्णुदत्त नौटियाल (अमीन) द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार राज्य वन भूमि / नाप भूमि प्रभावित हो रही है। राज्य वन भूमि 0.755 है, व नाप भूमि 0.405 है। प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित राज्य वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। आवेदित राज्य वन भूमि की मांग यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु लो०नि०वि० द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प / संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से 01 गाँव व 120 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित राज्य वन भूमि में 44 वृक्षों व नाप भूमि पर 8 वृक्षों का पातन निहित है जिसकी प्रजातिवार / व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।


अमीन
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

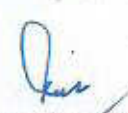

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

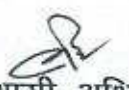

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


यूनिट अधिकारी,
गुप्तकाशी वन क्षेत्र


रा०उ०नि०
कालीमठ


तहसीलदार,
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


उपजिलाधिकारी,
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


उपजिलाधिकारी,
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


प्रमाणित करने वाली
रुद्रप्रयाग में प्रमाणित
वन प्रभाग रुद्रप्रयाग


जिला अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from Executive Engineer, Construction Division, P.W.D, Ukhimath (For diversion under FCA-1980) of 0.755 ha. of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for improvement of chumashi to Nivter Motor Road. The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated-----.

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Protect forest measuring 0.755 ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in col.2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project. yes

5.4 Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of:- No

5.5 xxWhether any protected archeological/heritage site/defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required:- No

a). The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act. 1980 and . no work has been started without proper sanction. yes

b). It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act. 1980 . provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, para C of Handbook of forest . (Conservation), Act. 1980 is attached. No

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(Signature)

Place Rudrapur
Date 6.7.2015

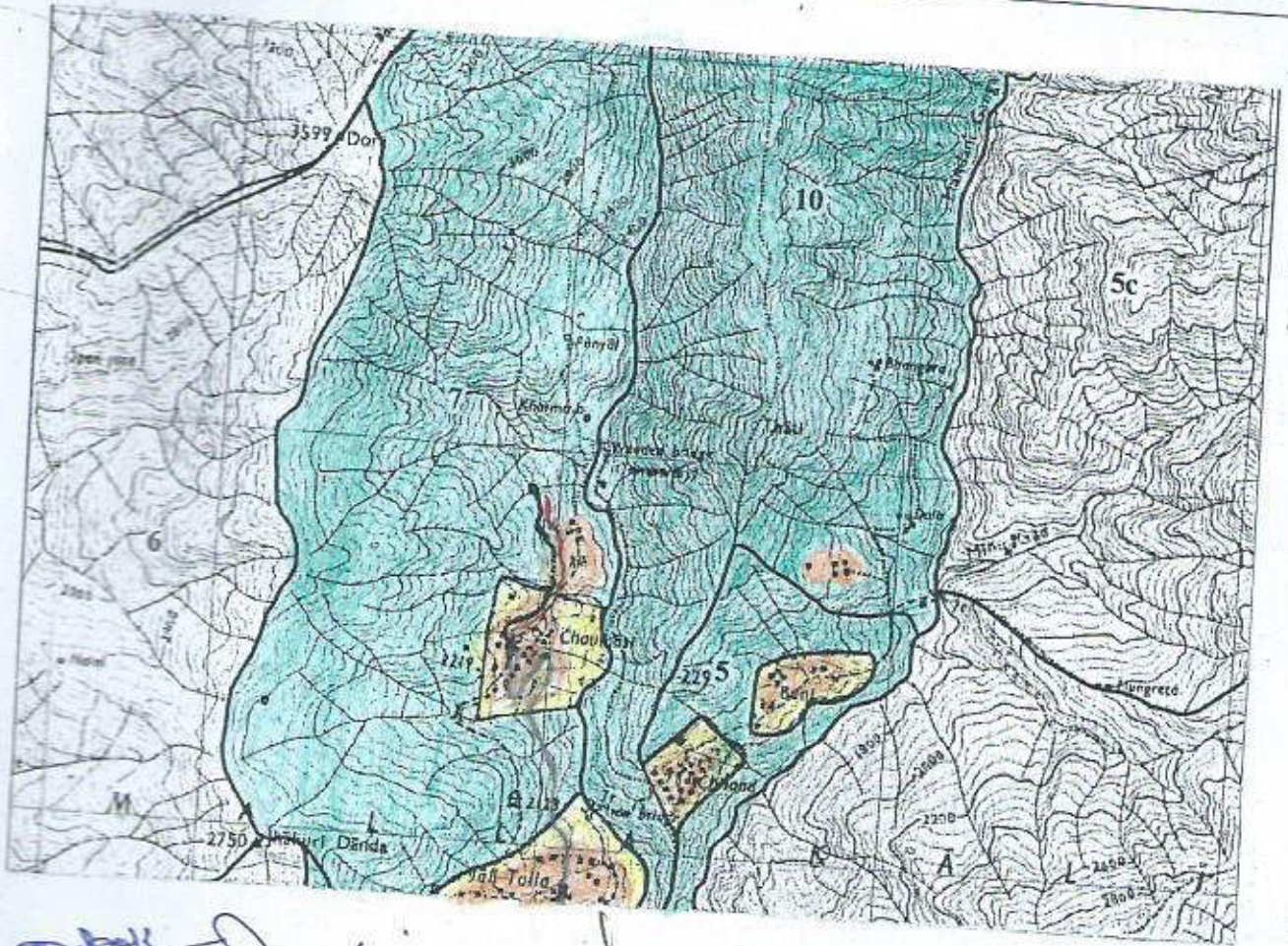
Name (Dr. C. K. Kavidyal)
Designation D.C.F.
Office Seal प्रभुपति नंदी प्रमोद
रुद्रप्रयाग राज प्रमोद
रुद्रप्रयाग

N.B. XState the purpose of with the forest land is proposed to be diverted.

XX Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the . option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। 1:50,000



अधीन
लो० नि० वि०
अधीन

सहायक अभियन्ता
विभाग लो० नि० वि०
अधीन (रुद्रप्रयाग)

रा० उ० वि०
रा० उ० वि०
तहसील
जनपद रुद्रप्रयाग

अधीन
अधीन
जनपद रुद्रप्रयाग

अधीन
अधीन
जनपद रुद्रप्रयाग

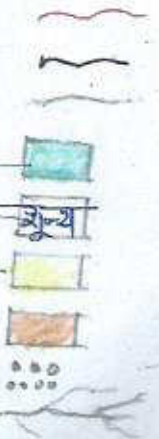
आंध्रप्रदेशी अभियन्ता
निर्माण वि०, लो० नि० वि०
अधीन (रुद्रप्रयाग)

अधीन
अधीन
रुद्रप्रयाग

अधीन
अधीन
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

1. प्रस्तावित मोटर मार्ग-
2. वैकल्पिक संरेखण-
3. मुख्य मोटर मार्ग
4. आरक्षित वन भूमि-
5. पंचायती वन भूमि-
6. राज्य वन भूमि-
7. नाप भूमि-
8. आबादी क्षेत्र-
9. नदी एवं नाला-
10. क्षतिपूर्क स्थल-



डिजिटल मानचित्र - जनपद रुद्रप्रयाग में विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में चौमासी से निवत्तर मोटर मार्ग का निर्माण



Legend

- PROPOSED ROAD
- EXISTING ROAD
- MUCK DUMPING ZONE
- ALTERNATE ROAD

Signatures and stamps:
 - सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो० वि० रुद्रप्रयाग
 - अधीक्षक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो० वि० रुद्रप्रयाग
 - जिला प्रमुख, रुद्रप्रयाग
 - तहसीलदार, रुद्रप्रयाग
 - जिला प्रमुख, रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन भूमि की मांग का औचित्य

प्रस्तावित मार्ग गुप्तकाशी-कालीमठ-जाल-चौमासी मोटर मार्ग के कि०मी० 24.375 से प्रस्तावित है, इस क्षेत्र में ग्राम-निवत्तर की राज्य भूमि व नाप भूमि स्थित है, संमरेखण के चयन करते समय पाया गया कि, प्रस्तावित संमरेखण पर वनभूमि की माँग न्यूनतम है, जबकि अन्य वैकल्पिक संमरेखणों पर अधिक वनभूमि प्रभावित होगी व अत्याधिक वृक्षों का पातन होना निश्चित है, प्रस्तावित मोटर मार्ग के बनने से ग्राम-निवत्तर प्रत्यक्ष रूप से यातायात से जुड़ जायेगा।

अतः तकनिकी दृष्टि से भी प्रस्तावित संमरेखण सर्वदा उपयुक्त पाया गया।



अमीन

निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-8वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र।

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्त तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु विभिन्न उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया गया व वर्तमान विकल्प को सर्वोत्तम उपयुक्त पाया गया।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


संयोजक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


उपप्रभारी जनपद प्रभारी
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


प्रभागीय प्रभारी
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

संरेखण आख्या

कार्य का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवत्तर मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।

मार्ग की स्वीकृति:- शासनादेश संख्या 5150 / III (2) / 10-18(प्रा.आ.) / 2010 दिनांक 16 अगस्त 2010 ।

स्वीकृत लम्बाई :- 1.50 किमी.

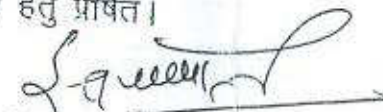
लागत :- ₹ 18.90 लाख ।

संरेखण की उपयोगिता:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवत्तर मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य गुप्तकाशी-कालीमठ-जाल-चौमासी मोटर मार्ग के किमी. 24.375 से प्रस्तावित है। जिसकी लम्बाई 1.50 किमी. में स्वीकृति प्राप्त है। ग्राम निवत्तर मोटर मार्ग से काफी दूरी पर स्थित होने के कारण स्थानीय जनता को काफी पैदल चलना पड़ता है। स्वीकृत मार्ग के निर्माण हो जाने से उक्त राजस्व ग्राम जो कि वर्तमान में सड़क यातायात से वंचित है वे गुप्तकाशी-कालीमठ-जाल-चौमासी मोटर मार्ग से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जायेंगे। इस मार्ग के निर्माण से स्थानीय जनता को अपनी नगदी फसल एवं सुगम यातायात की सुविधा होगी। मार्ग के संरेखण पर स्थानीय ग्रामवासियों की भी सहमति है।
अतः मार्ग का संरेखण तकनीकी दृष्टिकोण एवं स्थानीय ग्रामवासियों की सहमति के आधार पर गठित किया गया है।

संरेखण का विवरण:- इस प्रकार सर्वे आफ इण्डिया के कन्टूर, मानचित्र पर प्रस्तावित समरेखण क्रमशः लाल एवं हरे रंग से दर्शाया गया है। जिसमें लाल रंग प्रस्तावित संरेखण से क्षेत्र की जनता सन्तुष्ट है तथा तुलनात्मक विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरेखण (1) ही उचित है।
अतः प्रस्तावित संरेखण जो कि लाल रंग से अंकित है संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु प्रेषित।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशोषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


पब्लिक वर्क प्रमोशन


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो. नि. वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1.	मुख्य विशेषताएँ एवं विवरण	यह सरैखण जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवत्तर मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य गुप्तकाशी-कालीमठ-जाल-चौमासी मोटर मार्ग के किमी. 24.375 से प्रस्तावित है। जिसकी लम्बाई 1.50 किमी. में स्वीकृति प्राप्त है। ग्राम निवत्तर मोटर मार्ग से काफी दूरी पर स्थित होने के कारण स्थानीय जनता को काफी पैदल चलना पड़ता है। स्वीकृत मार्ग के निर्माण हो जाने से उक्त राजस्व ग्राम जो कि वर्तमान में सड़क यातायात से वंचित है वे गुप्तकाशी-कालीमठ - जाल-चौमासी मोटर मार्ग से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जायेंगे।	समरेखण नं. 1 के अनुसार
2.	प्रास्तवित दृष्टिकोण से समरेखण की लम्बाई	1.50 किमी.	2.00 किमी.
3.	वर्तमान यातायात के साधन	पैदल मार्ग	
4.	भूमि (अ) वन भूमि (ब) कृषि योग्य भूमि 1. सिंचित 2. असिंचित	पैदल मार्ग 0.50 किमी. 1.00 किमी. 0.750 किमी. 0.250 किमी.	पैदल मार्ग 1.00 किमी. 1.00 किमी. 0.750 किमी. 0.250 किमी.
5.	सूर्य प्रकाशित भूभाग	सम्पूर्ण लम्बाई में	सम्पूर्ण लम्बाई में
6.	भूस्खलन	शून्य	शून्य
7.	भूमि	मिटटी, पत्थर, कठोर चट्टान आदि	मिटटी, पत्थर, अत्यधिक कठोर चट्टान आदि
8.	वनस्पति	पैड़ पौधे	पैड़ पौधे
9.	मार्ग का ढाल	4.50 प्रतिशत	5.00 प्रतिशत
10.	अनुप्रस्थ ढाल-1. सामान्य ढाल 2. तीव्र ढाल	0.325 किमी. शून्य	1.00 किमी. शून्य

PWD/-Pee1-14

निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कम्पोजिट (सदप्रधान)

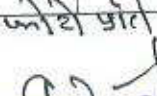
सहायक सचिव
निर्माण खाण्ड जी. ए. नि. वि.
कलकत्ता (बंगाल)

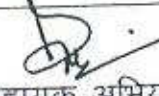
क्रमशः - 2-

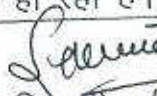
क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1	2	3	4
11.	भू-भाग 1. कठोर चट्टान 2. कोमल चट्टान	1.00 किमी. 0.500 किमी.	1.00 किमी. 1.00 किमी.
12.	अस्थिर भूमि की लम्बाई	शून्य	शून्य
13.	साधन 1. लकड़ी 2. पत्थर 3. मजदूर	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता
14.	पानी का निकास (अ) छोटे पुल संख्या व विस्तार (अ) बड़े पुल संख्या व विस्तार	1 नं. शून्य	1 नं. शून्य
15.	वर्षा एवं जलवायु की दशा	मार्ग सर्व ऋतु योग्य रहेगा। ठंडी जलवायु	समरेखण नं. 1 अनुसार
16.	लाभाविन्त ग्रामों की संख्या (अ) प्रत्यक्ष रूप से (ब) अप्रत्यक्ष रूप से	ग्राम का नाम कोड सं. जनसंख्या एस.सी. चौमासी निवत्तर राजस्व ग्राम नहीं है शून्य	समरेखण नं. 1 अनुसार समरेखण नं. 1 अनुसार
17.	वर्तमान मार्ग से प्रस्तावित मार्ग का सम्बन्ध	यह सरेखण जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवत्तर मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य गुप्तकाशी-कालीमठ-जाल-चौमासी मोटर मार्ग के किमी. 24.375 से प्रस्तावित है। जिसकी लम्बाई 1.50 किमी. में स्वीकृति प्राप्त है। ग्राम निवत्तर मोटर मार्ग से काफी दूरी पर स्थित होने के कारण स्थानीय जनता को काफी पैदल चलना पड़ता है। स्वीकृत मार्ग के निर्माण हो जाने से उक्त राजस्व ग्राम जो कि वर्तमान में सड़क यातायात से वंचित है वे गुप्तकाशी- कालीमठ-जाल-चौमासी मोटर मार्ग से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जायेंगे। जिससे इस गांव की जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी।	समरेखण नं. 1 अनुसार

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1	2	3	4
18.	सामरिक महत्व	मुख्य मार्ग से जुड़ जाने के कारण मार्ग का यातायात सम्बन्धी महत्व होगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
19.	हेयर पिन बैंड	शून्य	2 नं.
20.	कृषि एवं फल की दृष्टि से महत्व	क्षेत्र की मुख्य पैदावर जैसे आलू, माल्टा, नीबू, नारंगी व, दालो आदि का दुलान स्थानीय बाजार में आसानी से पहुँचने के कारण बाजार की सुविधा मिलेगी।	समरेखण नं. 1 अनुसार
21.	वन सम्पदा का उपयोग	जड़ी बूटी एवं अन्य वन सम्पदा का संरक्षण हो सकेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
22.	खनिज सम्पदाओं का उपयोग।	खनिज सम्पदाओं का पता लगाने में मदद मिलेगी तथा खनिज का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
23.	लाभ व हानि	1. कठोर चट्टान कम पड़ेगी। 2. ग्राम वासियों के मकानों को कोई क्षति नहीं होगी। 3. तकनीकी दृष्टि से यह संरेखण उपयोगी है। 4. इस संरेखण से ग्रामवासी भी पूर्ण रूप से सहमत है। 5. इस संरेखण से पेड़ों की कम हानि हो रही है।	1. कठोर चट्टान अधिक पड़ेगी। 2. ग्राम वासियों के मकानों के क्षति होने की सम्भावना है। 3. नाप भूमि अधिक पड़ने, मकानों के ऊपर मलवा आने की सम्भावना के कारण स्थानीय जनता इस संरेखण से सन्तुष्ट नहीं है। 4. भूस्खलन होने की सम्भावना के कारण मार्ग तकनीकी दृष्टि से भी उपयोगी नहीं है। 5. इस संरेखण से पेड़ों की अधिक हानि हो रही है।


कनिष्ठा अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सारांश

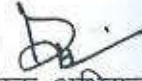
संलग्न तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट है कि संरेखण संख्या (1) जो कि लाल रंग से दर्शाया गया है, आर्थिक, भौगोलिक एवं तकनीकी रूप से उपयोगी है तथा इस प्रस्तावित संरेखण से जनता सन्तुष्ट है।

अतः प्रस्तावित समरेखण नं. (1) जो मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है, संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु प्रेषित है। मार्ग केवल 1.50 किमी. लम्बाई में निर्मित होना है, निर्माण कार्य कठोर चट्टान, वन भूमि, कृषि भूमि आदि में किया जाना है।

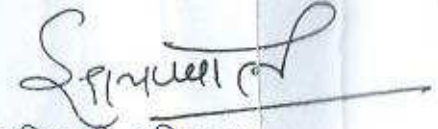
अतः प्रस्तावित समरेखण नं. 1 जो कि लाल रंग से अंकित है, अनुमोदन करने की कृपा करें।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

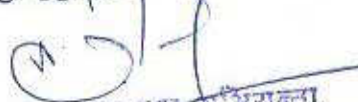


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Photo copy Attached



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी वैकल्पिक समरंखण को कार्य स्थल पर मेरे द्वारा दर्शायी गयी तिथि को निरीक्षण के समय देख लिया गया है। तथा प्रस्तावित समरंखण कार्य स्थल की तकनीकी दृष्टि से उचित है।

1. कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि 15/8/2011
2. सहायक अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि 19.08.2011
3. अधिशासी अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि 02-10-2011

अतः प्रस्तावित समरंखण नं. 1 जो मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है, का अनुमोदन करने की कृपा करें।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Photo copy attached

② -
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक वितरण उसके निरस्त किये जाने का कारण का प्रमाण पत्र

संरेखण नम्बर	प्रभावित वन भूमि (हे०में)	प्रभावित वृक्षा की संख्या	मार्ग की लम्बाई (कि०मी० में)	अन्य कारण (एच०पी०ब्लैण्ड व अन्य भू-गर्भीय कारण)
संरेखण-1	0.755	44	1.00	---
संरेखण-2				

उक्त तीनों संरेखणों में से संरेखण 1 उपयुक्त है।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशायी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


उपप्रमुख वन अधिकारी
प्रभुशायी उपवन अधिकारी
रुद्रप्रयाग
रुद्रप्रयाग


प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण- पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 0.755 हे० वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

वन क्षेत्राधिकारी
गुप्तकाशी वन क्षेत्र

उपप्रभागीय वनाधिकारी
जखली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
प्ररुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

राजस्व उपनिरीक्षक

तहसीलदार
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

लैन्ड शेड्यूल
(आरक्षित वन विभाग)

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे०)
रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग	-	रिव्हा	-	-	-

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

उपप्रभागीय वन अधिकारी
जखमली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
प्रभागीय वन अधिकारी

लैन्ड शेड्यूल

(31)

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

भूमि की श्रेणी:- राज्य भूमि (-चौमासी)

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा संख्या	कुल रकबा	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (है०)
रुद्रप्रयाग	ऊखीमठ	ऊखीमठ	1176		550 मीटर	7 मीटर	0.385 + 0.370 = 0.755
			1176 1179	5.936 हे० 3.266 हे०			0.755



अमीन,

निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.

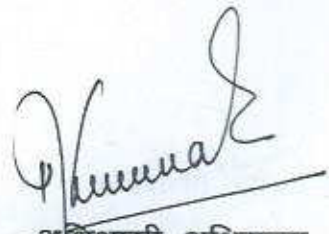
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)



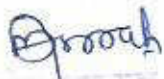
कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)



अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)



राजस्व नि. वि.
उपनिरीक्षक



तहसीलदार
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग



उपजिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग



जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी

प्रपत्र-12

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्त तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

परियोजना की लम्बाई चौड़ाई का विवरण

क्र.सं.	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (है. में)
1	आरक्षित वन भूमि			
2.	राज्य वन भूमि	550	7	0.385 + 0.370 महे
3.	वन पंचायत भूमि अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो)			
	वन भूमि का योग:-	550	7	0.755
4.	नाप भूमि	450	9	0.405
	कुल योग:-	1000	-	1.16

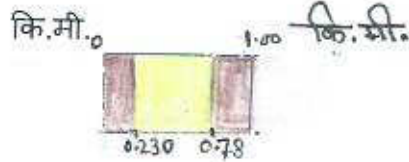

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
रुखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
रुखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
रुखीमठ, (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

बारचार्ट का प्रारूप



क्र.सं.	भूमि की श्रेणी	रंग	क्षेत्रफल (हे० में)
1	आरक्षित वन भूमि		शून्य
2.	राज्य वन भूमि		0.385+0.375 (मूल)
3.	वन पंचायत भूमि		शून्य
4.	नाप भूमि		0.405


अमीन,

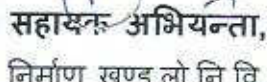
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)



कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)



अधिशारी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


वन विभाग अधिकारी
मुफकाशी वन क्षेत्र


उपप्रभागीय वन अधिकारी
जखौली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


राजस्व उपनिरीक्षक
वालिका
ऊखीमठ


वृक्षीकरण अधिकारी
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग


उपनिरीक्षक
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग


जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला अधिकारी

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्त तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 1-04-2015 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

आरक्षित वन भूमि पर प्रभावित पेड़

क्र.सं.	वन क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यस वर्ग									योग
			10. 20	20. 30	30. 40	40. 50	50. 60	60. 70	70. 80	80. 90	90 से अधिक	
						शून्य						

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

राजस्व उपनिरीक्षक
मालिग
रुद्रप्रयाग

तहसीलदार
रुद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

वन विभागाधिकारी
गुराकशी वन क्षेत्र

उपप्रभारी वनाधिकारी
जखौली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग

25 जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-15.1

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

राज्य वनभूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 1-04-2015

को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1	राज्य वनभूमि चौमासी	मेहल Ficus religiosa Guah-Ham. A...	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
2		बौज Quercus	3	1	2	1	-	1	-	-	-	8
3		बुरांश Rhododendron	1	6	4	1	5	2	1	1	-	21
4		उत्तीस Alnus nepalensis	2	1	-	1	-	-	-	-	-	4
6		अंयार Andromeda	2	1	1	1	1	-	-	-	-	6
7		ककाट Andromeda	-	1	2	-	-	-	-	-	-	3
		योग	8	11	10	4	6	3	1	1	-	44

सदर
राज्य उपनिर्देशक
तहसील...
जनपद रुद्रप्रयाग

तहसीलदार
जनपद रुद्रप्रयाग

उपनिर्देशक
जनपद रुद्रप्रयाग

वन विभागाधिकारी
युनिट अधिकारी
गुफाकारी वन क्षेत्र

उपप्रभागीय वनाधिकारी
जनपद रुद्रप्रयाग
26

प्रभागीय वनाधिकारी
जनपद रुद्रप्रयाग

राज्य वनाधिकारी
जनपद रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-15.2

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन पंचायत भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 1-04-2015 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

क्र.सं.	वन क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10. 20	20. 30	30. 40	40. 50	50. 60	60. 70	70. 80	80. 90	90 से अधिक	
						शून्य						

राजस्व उपनिरीक्षक
तहसील...
जनपद रुद्रप्रयाग

तहसीलदार
जनपद रुद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
जनपद रुद्रप्रयाग

वन अधीनकारी
यूनिट अधिकारी
गुप्तकाली वन क्षेत्र

उपप्रभारी वनाधिकारी
जमौली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभारी वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

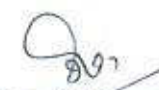
परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

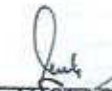
नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 1-04-2015 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

क्र.सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	चौमासी क्षेत्र	आम	1									1
2		बौल	4	2				1				7
		योग	5	2				1				8


राजेश्वर उपनिरीक्षक
जनपद रुद्रप्रयाग

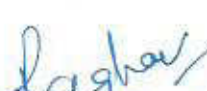

तहसीलदार
जनपद रुद्रप्रयाग


उपजिलाधिकारी
जनपद रुद्रप्रयाग


वन क्षेत्राधिकारी
गुफाकाशी वन क्षेत्र


उपप्रभारी वनाधिकारी
जस्ताली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


प्रभारी वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग


जिला मजिस्ट्रेट
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 1-04-2015 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

क्र० सं०	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग									योग
		10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
2	राज्य वनभूमि	8	11	10	4	6	3	1	1	--	44
3	वन पंचायत	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
	योग	8	11	10	4	6	3	1	1	--	44
4	नाप भूमि	5	2	---	---	---	1	---	---	---	8
	कुल योग	13	13	10	4	6	4	1	1	--	52

राजस्व उपनिरीक्षक

जनपद रुद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी

वन विभागाधीन अधिकारी

उपप्रभारित वन अधिकारी

प्रभागीय वन अधिकारी

जिला वन अधिकारी

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 52 वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल 52 वृक्षों का पातन किया जाना है।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोन्निवि,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोन्निवि,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोन्निवि,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


राजस्व उपनिरीक्षक


तहसीलदार
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग


उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग


वन क्षेत्राधिकारी
गुप्तकाशी वन क्षेत्र


उपप्रभारी वन अधिकारी
जखली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


प्रभारी वन अधिकारी
प्रभारी वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के अन्तर्गत काटे जाने पेड़ों का कुल मूल्य रुपये 22375.00 आंकलित किया जाता है


राजेश उपनिरीक्षक


तहसीलदार
जनपद रुद्रप्रयाग


उपनिवाधिकारी
जनपद रुद्रप्रयाग


वन क्षेत्राधिकारी
गुफाकाशी वन क्षेत्र


उपप्रभागीय वनाधिकारी
जखाली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग


जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

वृक्षों की मूल्य सूची

परियोजना का नाम - जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

क्र.स.	ब्लाक /ग्राम	वृक्षों की प्रजाति	वृक्षों का वानस्पतिक नाम	वृक्षों की संख्या	व्यास से.मी.	दर प्रति पेड़	कुल धनराशी	टिप्पणी
1	राज्य वनभूमि चौमासी, निवत्तर	मेहल	ऐन्ड्रोमिडा Pyrus Pashia Buch-Ham.	1	30-40	160.00	160.00	
	-	-	-	1	20-30	390.00	390.00	
2	-	बाँज	क्यूसेन्स	3	10-20	145.00	435.00	
3	-	-	Quercus Leucocarpa	1	20-30	225.00	450.00	
	-	-	Chophora	2	30-40	485.00	970.00	
	-	-	-	1	40-50	1050.00	1050.00	
	-	-	-	1	60-70	2580.00	2580.00	
4	-	बुराँस	ऐन्ड्रोमिडा	1	10-20	80.00	80.00	
	-	-	Rhododendron	1	80-90	1500.00	1500.00	
	-	-	arboreum	6	20-30	160.00	960.00	
	-	-	Smith	4	30-40	390.00	1560.00	
	-	-	-	1	40-50	630.00	630.00	
	-	-	-	5	50-60	780.00	3900.00	
	-	-	-	2	60-70	1020.00	2040.00	
	-	-	-	1	70-80	1230.00	1230.00	
5	-	उत्तीस	अलनस	2	10-20	160.00	320.00	
	-	-	नेपोलेन्सी	1	20-30	330.00	330.00	
	-	-	-	1	40-50	1120.00	1120.00	
6	-	अंयार	ऐन्ड्रोमिडा	2	10-20	80.00	160.00	
	-	-	Lyonia	1	20-30	160.00	160.00	
	-	-	Ovalifolia	1	30-40	390.00	390.00	
	-	-	-	1	40-50	630.00	630.00	
	-	-	-	1	50-60	780.00	780.00	
7	-	कुकाट	ऐन्ड्रोमिडा	1	20-30	160.00	160.00	
	-	-	-	2	30-40	390.00	780.00	
	योग	-	-	44	-	-	22375.00	

उपप्रभारी वन अधिकारी
जखोली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

वनक्षेत्र अधिकारी
यूनिट अधिकारी
गुप्तकाशी वन क्षेत्र

5. जीमाखी से निपटार और भागी : निम्नलिखित में आने वाले प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

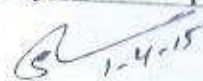
नाप क्षेत्र निपटार-जीमाखी विकास खण्ड कुशीमठ जिला उत्तरप्रदेश

प्रकार का नाम	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से ऊपर	योग
आदमी	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
घोड़ा	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	6
शेरा	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	7 कुर्सी


 कपेश महरा
 जिला अधिकारी
 लोहादे विदे कुशीमठ


 (विष्णु कृष्ण मौरिया)
 समीप
 लोहादे विदे कुशीमठ


 (देवी प्रसाद श्रीवास्तव)
 वन कारखाना
 गिफतवाशी नीर


 (पी. सी. हंस आसवत)
 वन कमिश्नर
 गिफतवाशी अनुभाग

નીમાણી લે મિપત્તર સીરંગ ગામ 1 કિમી નિમણી મેં અગિ વાતે હુસોં લી જાના છતી

હાથાગ નાપચેત નીમાણી વિકાસ ધ્વજ કચેરી જિલ્લા કુડપ્રવાગ
જાણના છતી

પ્રજાતિ ના નામ	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 સે અધર	મોગ
પોઝ	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
મોગ	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1 હુસ

Shah
(રૂપેશ ખરૂ)
લાલિયેઠ ડામિયન્ટા
લોપ નીંચે વિં કચીમક

Shah
(વિપણુ વત નીંચિગલ)
અમીન
લોપ નીંચે વિં કચીમક

Shah
(કેવી પ્રસાદ મેં લા)
વગ ડાલેજ
ગુલવા સી નીંચે

Shah
(પીં હવે ડાલેજ)
વગ કચોગ
ઉદનાચી કાનુઅમ

हस्ताक्षर - लोकाधीन विधित्त वन विभाग अखिल जिला लखनऊ

प्रजाति का नाम	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से ऊपर	मोजा
मेहलहरा	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
बोज	-	3	1	2	1	-	1	-	-	-	8
उतीस	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	4
पुतोष	-	1	6	4	1	5	2	1	1	-	21
आमर	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	6
मुकाट	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	3
मोग	-	8	11	10	4	6	3	1	1	-	44

(रूपेश अहिर)
कार्डेट अभियंता
लोह वि० वि० अखिल

(विष्णु दत्त नारायण)
नामीन
लोह वि० वि० अखिल

(दीप प्रसाद अरोला)
वन आरक्षी
जिला कार्यालय

(पी० हरचंद आसवाल)
वन हरीगा
जिला कार्यालय

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये मेरे द्वारा दिनांक.....को स्थलीय निरीक्षण किया गया स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई

क्र.सं.	ब्लाक/ग्राम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1	चौमासी	बांज	3	1	2	1	-	1				8

उपरोक्तानुसार गणना किये वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है

वन संरक्षक
गढ़वाल वृत

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशायी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वन अधिकारी
गुप्तकाशी वन क्षेत्र


उपप्रभागीय वन अधिकारी
जखोली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
प्रभागीय वन अधिकारी

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर 52 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोन्निवि,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोन्निवि,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधीनस्थ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोन्निवि,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वन क्षेत्राधिकारी
गुप्तकाशी वन क्षेत्र


उपप्रभागीय वनाधिकारी
जखीली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्त तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/ वन्यजीव अभ्यारण का हिस्सा न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा नहीं है

उपप्रभागीय वनाधिकारी
जखोली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
जनपद रुद्रप्रयाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

मुख्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र

मुख्यजीव प्रतिपालक
उत्तराखण्ड

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

राष्ट्रीय पार्क/ वन्यजीव अभ्यारण से दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन क्षेत्र की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से दूरी 0.50 कि.मी. है

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

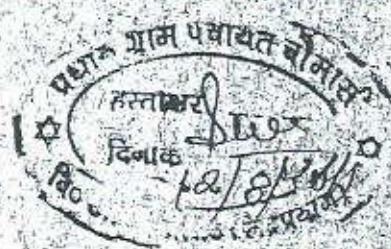
उपप्रभागीय वनाधिकारी
नागोली उप वन प्रभाग
अध्यापिका

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा जमा निर्माण हेतु किलोमीटर चौमासी से आगे के भाग निपट गेव तक मोटर मार्ग के सर्वे करने पर सभी ग्रामवासी संतुष्ट हैं तथा सभी ग्रामवासियों को गाँव की ओर से कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक

12-8-2011

भवदीय



प्रोये प्रती प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
विभागीय सड़क वि० वि०
ऊखीमठ (सदरप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

दिनांक 25/12/2014 को ग्राम / सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - चौमासी निवत्तर

क्र. स.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मे. हवासिंह	मे. हवासिंह
2	दिलवरसिंह	दिलवरसिंह
3	उमेशसिंह	उमेशसिंह
4	शुभाजी लालसिंह	Ramrath Singh
5	दलवीरसिंह	दलवीरसिंह
6	शमसिंह	Ram Singh
7	सुरेशसिंह	Suresh
8	शिवराजसिंह	शिवराजसिंह
9	अमृतसिंह	अमृतसिंह
10	अद्विपालसिंह	अद्विपालसिंह



परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण- पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- चौमासी निवत्तर

तहसील - ऊखीमठ , जिला - रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। राज्य वन भूमि 0.755 है. अर्थात् कुल 0.755 है. वन भूमि का लो.नि.वि. के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चौमासी निवत्तर द्वारा दिनांक 25/12/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में लो.नि.वि. द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चौमासी निवत्तर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उक्त परियोजना हेतु लो.नि.वि. को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, - ऊखीमठ

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण- पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, - ऊखीमठ

उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। पंचायती वन भूमि 0.755 है, अर्थात् कुल (0.755) है। वन भूमि का लो.नि.वि. के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील -ऊखीमठ) की दिनांक... 6.5.2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता श्री उत्तम सिंह गोहान उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री उत्तम सिंह गोहान उपजिलाधिकारी ऊखीमठ अध्यक्ष
2. श्री मानय कुमार शर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग सदस्य
3. श्री रमेश अग्रवाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी ऊखीमठ सदस्य/सचिव
4. श्री भीम सिंह गोहान बी.डी.सी. क्षेत्र मालवा गलवा सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। परियोजना हेतु (0.755) है। राज्य वन भूमि का लो.नि.वि. के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 को स्पष्ट करते हुए जनजाति से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

अनापत्ति जारी की जा चुकी है अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड - ऊखीमठ परिक्षेत्र के जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु (0.755) है. राज्य वनभूमि का लो.नि.वि को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

1.

2.

सहायक सखण्ड विकास अधिकारी-विशेष
विकास खण्ड ऊखीमठ
3. बी.डी.सी. सदस्य

सी.डी.
सदस्य
वन विकास-जाल मल्ला
वि. खण्ड ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - ऊखीमठ
जनपद - रुद्रप्रयाग

संख्या - 214/एसडी-वि.वि.डी/2014-15 दि. 05-2-2015

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - ऊखीमठ
जनपद - रुद्रप्रयाग

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dr. Raghav Langar I.A.S District Magistrate Rudraprayag on date 23.5.15 at time 2:00 P.M. at Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 0.755 hect for Transfer of chumashi to Nivter Motor Road under Sate sector of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division 35 level committee of S.D.M. sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag

Dated: 23.5.15


जिला न्यायाधीश

(Dr. Raghav Langar)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committee, Rudraprayag

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 0.755 हे० वनभूमि लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं. 11-9/98-एफ०सी०, दिनांक 05-02-2013 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, रोपवे, ओ०एफ०सी०, केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित राज्य वन भूमि व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

Raghu
जिला अधिकारी
जनपद रुद्रप्रयाग
जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

(For linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District collector- Rudrapur

No. 71

Dated 23/5/15

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that (0.755) hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Construction Division, P.W.D., Ukhimath Rudrapur (name of user agency) for Construction of chumashl to Nivter Motor Road (purpose for diversion of forest land) in Rudrapur district falls within jurisdiction of chumashl, Nivter villages in Ukhimath tehsil

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire (0.755) Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee(s) and the District Level committee are enclosed as annexure 1 and annexure 2.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and Grama Sabhas have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and pre-agricultural communities.

Encl. As above.

Signature

(Full name and official seal of the District collector)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

भू - गर्भीय निरीक्षण आख्या एस0जी0 -273/सड़क/पुल समरेखण/गढ़वाल/2012

चौमासी से निवत्तर मोटर मार्ग जनपद रुद्रप्रयाग के समरेखण
स्थल की भू- गर्भीय निरीक्षण आख्या।

09-जनवरी-2012

चौमासी से निवत्तर मोटर मार्ग जनपद रुद्रप्रयाग के समरेखण स्थल की भू- गर्भीय

निरीक्षण आख्या।

1. **प्रस्तावना:**— जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवत्तर मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य 1.5 किमी० की लम्बाई में किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ के अनुरोध पर उक्त मार्ग के समरेखण स्थल का भू- गर्भीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 10.11.2011 को इं० आर०सी० पाल अधिशासी अभियन्ता, इं० हीरा सिंह नेगी सहायक अभियन्ता एवं अलोक पुरोहित कनिष्ठ अभियन्ता की उपस्थिति में किया गया।
2. **स्थिति:**— चौमासी से निवत्तर मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य गुप्ताकाशी- कालीमठ- जाल- चौमासी मोटर मार्ग के किमी० 24.375 से प्रस्तावित है। जिसकी लम्बाई 1.50 किमी० में स्वीकृत प्राप्त है। ग्राम निवत्तर मोटर मार्ग से काफी दूरी पर स्थित होने के कारण स्थानीय जनता को काफी पैदल चलना पड़ता है। स्वीकृत मार्ग के निर्माण हो जाने से उक्त राजस्व ग्राम जा कि वर्तमान में सड़क यातायात से वंचित है। वे गुप्ताकाशी- कालीमठ- जाल- चौमासी मोटर मार्ग से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जायेंगे।
3. **भू- गर्भीय स्थिति:**— भू-गर्भीय स्थिति के अनुसार चौमासी- विषयगत मोटर मार्ग का समरेखण स्थल वेस्टर्न हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में मेन सेन्ट्रल थ्रस्ट (MCT) समीपवर्ती के क्षेत्र में स्थित है, जिसमें मुख्यतः ग्रेनाइट्स, एवं ग्रेनाइट नाइसेज शैल दृष्टिगोचर है। यह शैल चार संधियों से युक्त है तथा समरेखण क्षेत्र के ढालों पर इसके ऊपर ओवरबर्डन / स्लोपवॉश मैटीरियल का जमाव दृष्टिगोचर है।
समरेखण स्थल के ढाल 15° से 20° के कोण पर N 250 से N 270 की दिशा में उन्मुख है तथा वर्तमान में इनके अधिकांश भाग में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जा रही है। समरेखण स्थल के ढालों पर जमा स्लोप फार्मिंग मैटीरियल कम्पोजिट सॉयल के प्रकार का है तथा इसकी कन्सिस्टेन्सी stiff प्रकार की है तथा इसमें एल्कली कन्टेन्ट उपस्थित नहीं है। यह स्लोप फार्मिंग मैटीरियल नॉन डिस्पर्सिव प्रकार का है। उक्त स्लोप फार्मिंग मैटीरियल की अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेन्थ 250 k Pa से 300 k Pa तक आंकी गयी है।
सम्पूर्ण समरेखण स्थल के ढालों पर कहीं भी भू- स्खलन / भू- घंसाव दृष्टिगोचर नहीं है तथा यह स्थिर प्रतीत होते हैं।
स्थल की भू-गर्भीय संरचना, समरेखण कोरीडोर में अवस्थित स्लोप फार्मिंग मैटीरियल की गुणवत्ता, ढालों की तीव्रता एवं रिलीफ तथा क्षेत्र की हाइड्रोलोजी के आधार पर समरेखण स्थल के मार्ग निर्माण हेतु उत्खनन के पश्चात् इसके ऊपरी ढालों की स्थिरता प्रथमदृष्टया प्रभावित होती प्रतीत नहीं होती है।

समरेखण क्षेत्र की भू- गर्भीय स्थिति, भू-तकनीकी आंकलन, भू- आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे हैं, जिन्हें प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

4. सुझाव:-

- (i) मार्ग का निर्माण सम्पूर्ण उत्खनन द्वारा किया जाए।
- (ii) मार्ग में लाइन्ड हिल साइड ड्रेन्स का निर्माण किया जाए एवं कास ड्रेन्स का भी निर्माण किया जाए। ड्रेन्ड वाटर का सुरक्षित निपटान (safe disposal) किया जाए, जिससे निचले ढालों में कटाव व अस्थिरता पैदा न हो/ किया जाए।
- (iii) मार्ग निर्माण में प्रयुक्त रिटेनिंग एवं ग्रेस्ट वॉल का निर्माण समुचित परिकल्प के आधार पर किया जाए।
- (iv) पर्वतीय मोर्गों के निर्माण हेतु सुझाए गए मानकों एवं विशिष्टियों का अनुपालन किया जाए।

5. निष्कर्ष:- स्थल पर किए गए भू-गर्भीय अध्ययन पर उपरोक्त सुझाव का अनुपालन करते हुए उक्त समरेखण मार्ग बनाने हेतु उपयुक्त पाया गया।

[Signature]
09/01/2012

(विजय डंगवाल)
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

[Signature] प्रो. प्रो. प्रो.

सहायक अभियन्ता
विमान खण्ड ए० वि० वि०
कन्स्ट्रक्शन (सहप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिरासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्त तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of shock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen

much treatment and slide treatment by jute netting or netting of these simple vegetative covering seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made

- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips. Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.
- (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

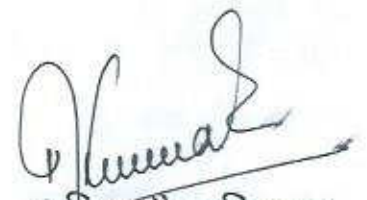
प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियों का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोन्गिनिवि,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोन्गिनिवि,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अभिधासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोन्गिनिवि,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र

:मानक शर्तें:

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और यह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वनभूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता ऐजेन्सी उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता ऐजेन्सी सहमत हैं।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता ऐजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की रेख-देख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध बनाय गये मुनारो रख-खाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता ऐजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नहरसरियों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूतम का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रतिकरक के भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता ऐजेन्सी को न रहने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि० को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी लो०नि०वि० द्वारा किया जायेगा कि वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढीकरण/चोड़ीकरण कार्य करन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति की जानी अनिवार्य है को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण की आवश्यक है।

12. प्रयोक्ता ऐजेन्सी के वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिताधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा किया जायेगा
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता ऐजेन्सी वन विभाग को किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरीडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी उक्त कार्य स्वयं के व्यय से करायेगा।
17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा उनका संक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।
प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता ऐजेन्सी को मान्य है।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिक्षेत्री अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित राज्य वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त राज्य वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशर्सी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


जिला अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन्य जीव /वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यटन परियोजना निर्माण कार्य/ रख-रखाव के दौरान वन्यजीव /स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोन्निवि,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोन्निवि,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिष्ठाता अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोन्निवि,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण के दौरान वन सम्पदा का प्रयोग भोजन पकाने में नहीं किया जायेगा तथा रसोई गैस/कैरोसिन तैल का इस्तेमाल भोजन पकाने में किया जायेगा। जिसकी आपूर्ति प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा की जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोन्निवि,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोन्निवि,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसूची अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोन्निवि,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

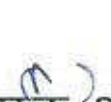
परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्त तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों की जनसंख्या के सम्बन्ध में
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों /परिवारों / जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र.स.	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
1	चौमासी (निवृत्त)	120	30
2	-----	-----	-----


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधीशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 0.755 है वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रु. 3.49-- लाख प्रति है है तथा राज्य वन भूमि का कुल मूल्य 3.01 लाख होता है।


पटवारी,
काशीमठ


तहसीलदार,
काशीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग


उप जिलाधिकारी,
काशीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग


जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

प्रस्तावित परियोजना में पातन होने वाले वृक्षों के दस गुने वृक्षों (52 X 10 = 520) के वृक्षारोपण कार्य हेतु प्राक्कलन

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निक्तर तक मोटर मार्ग के नव निर्माण (0.385 है०) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 1.00 किमी०)

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 520

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रेंज - गुप्तकाशी यूनिट।

प्रथम चरण

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु०)	धनराशि
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.3850 है०	81.000	31.185
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	0.3850 है०	2627.000	1011.395
3	ट्रीगाड क्रय करना	520 सं०	1400.000	728000.000
4	गड्ढा खुदान (0.30x0.30x0.45)	520 गड्ढा	5.600	2912.000
5	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	520 पौध	4.400	2288.000
6	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज कराना, वर्षा जल संग्रहण हेतु आवश्यकता अनुसार गड्ढे खोदना	0.3850 है०	645.000	248.325
8	अन्य कार्य	0.3850 सं०	320.000	123.200
	योग - प्रथम चरण			734614.11

द्वितीय चरण

1	गड्ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45) (प्रति 100)	520 पौध	1.00	5.20
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	520 पौध	1.25	650.00
3	100 बैग पौध का ढुलान वाहन से 25 कि०मी०	520 पौध	6.20	806.00
4	ट्री गार्ड ढुलान करना	520 L.S.	145.000	75400.000
5	ट्री गार्ड गाढ़ना एवं फिक्स करना	520 L.S.	125.000	65000.000
6	पौधारोपण व थालाबन्दी	520 पौध	1.95	1014.00
7	खाद व दवा पर व्यय	0.3850 है०	1000.00	385.00
8	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	0.3850 है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	2231.46
9	8.1 वृक्षारोपण के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशीलपदार्थों को हटाना प्रति है०	0.3850 है०	386.00	148.61
14	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, गोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पालीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार	0.3850 है०	8057.00	3101.95
16	अन्य कार्य	0.3850 है०	320.00	123.20
	योग- द्वितीय चरण			148865.42
	योग- प्रथम चरण+द्वितीय चरण			883479.52

तृतीय चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.3850 है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	2231.46
3	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना। अ. प्रशिक्षण	0.3850 है०	2000.00	770.00
4	अन्य कार्य	0.3850 है०	320.00	123.20
	योग- तृतीय चरण			3124.66

चतुर्थ चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.3850	है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	2231.46
2	अन्य कार्य	0.3850	है०	320.00	123.20
योग- चतुर्थ चरण					2354.66
पंचम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० आधार मानकर)	0.3850	है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	2231.46
2	अन्य कार्य	0.3850	है०	320.00	123.20
योग- पंचम चरण					2354.66
छठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.3850	है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	2231.46
2	अन्य कार्य (अग्नि संयन्धी सुरक्षा कार्य)	0.3850	है०	320.00	123.20
छठवां चरण का योग :-					2354.66
सातवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.3850	है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	2231.46
2	अन्य कार्य (अग्नि संयन्धी सुरक्षा कार्य)	0.3850	है०	320.00	123.20
सातवां चरण का योग :-					2354.66
आठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.3850	है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	2231.46
2	अन्य कार्य (अग्नि संयन्धी सुरक्षा कार्य)	0.3850	है०	320.00	123.20
आठवां चरण का योग :-					2354.66
नवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.3850	है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	2231.46
2	अन्य कार्य (अग्नि संयन्धी सुरक्षा कार्य)	0.3850	है०	320.00	123.20
नवें चरण का योग :-					2354.66
दसवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.3850	है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	2231.46
2	अन्य कार्य (अग्नि संयन्धी सुरक्षा कार्य)	0.3850	है०	320.00	123.20
दसवें चरण का योग :-					2354.66
कुल योग—					903086.80
कुल धनराशि					
					प्रथम चरण
					734614.11
					द्वितीय चरण
					148865.42
					तृतीय चरण
					3124.66
					चतुर्थ चरण
					2354.66
					पंचम चरण
					2354.66
					षष्ठम चरण
					2354.66
					सप्तम चरण
					2354.66
					अष्टम चरण
					2354.66
					नवम् चरण
					2354.66
					दसवें चरण
					2354.66
					कुल योग
					903086.80

उपप्रभारी वनाधिकारी
जिला उप वन प्रभारी
रुद्रप्रयाग

उप वन सहायक
रुद्रप्रयाग वन प्रभारी
रुद्रप्रयाग

मक डिस्पोजल योजना के सापेक्ष वृक्षारोपण

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग के नव निर्माण (0.385 है०) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई 1.00 किमी०)

वृक्षारोपण स्थल का कुल क्षेत्रफल :- 0.5347 है०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या (कुल क्षेत्रफल X 2000 पौध)

1069 पौध

प्रथम चरण

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग-
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.5347 है०	81.000	43.311
2	स्थल सफाई कार्य	0.5347 है०	2627.000	1404.657
3	कुली दीवारबन्दी कार्य / फनिसंग (150 मी प्रति है० = 81 घ०मी० @ 172 /-घ०मी०	0.5347 है०	22275.000	11910.443
4	गड्ढा खुदान (0.30x0.30x0.45) रेखांकन चूना सहित	1069 गड्ढा	5.600	5986.400
5	डी०ए०पी० खाद की लागत 25 ग्राम प्रति गड्ढा	26.7 किग्रा०	20.000	534.500
6	निरीक्षण बटिया बनाना (400 रु० प्रति है०)	0.5347 है०	645.000	344.882
7	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	1069 पौध	4.400	4703.600
8	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10 है०) के आधार पर मानते हुए			
	1. वानस्पतिक / स्टोन चैकडैम 8 X 4739 = 37912.00	0.5347 है०	64460.000	34466.762
	3. वाटर हावेस्टिंग टैंक (3 x 2.50 x 1.0) 5x5310 = 26550.00			
	योग- 64460.00			
	योग - प्रथम चरण			59394.554

द्वितीय चरण

1	झाड़ी कटान (लैन्टाना गाजर घास / काला बांस)	0.5347 है०	1329.00	710.62
2	गड्ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.450)	1069 गड्ढा	1.00	1069.00
3	पौध डुलान कार्य	1069 पौध	6.20	6627.80
4	पौधारोपण व थालाबन्दी	1069 पौध	1.95	2084.55
5	पौधों की प्रथम निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य	1069 पौध	1.33	1421.77
6	पौधों की द्वितीय निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य	1069 पौध	1.15	1229.35
7	पौध की कीमत द्वितीय वर्ष	1069 पौध	1.25	1336.25
8	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	0.5347 है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	2324.34
9	अन्य कार्य	0.5347 है०	320.00	171.10
	योग- द्वितीय चरण			16974.78
	योग- प्रथम चरण+द्वितीय चरण			76369.33

तृतीय चरण 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (बीटिंग अप) प्रति है०

1	पौध की लागत	106.9 पौध	5.65	603.99
2	पौध डुलान कार्य	106.9 पौध	6.20	662.78
3	पुनः गड्ढे खोदना एवं रोपण कार्य	106.9 पौध	3.10	331.39
4	गड्ढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	106.9 पौध	1.37	146.45
5	पौधों की शीतकालीन मलचिंग	106.9 पौध	1.15	122.94
6	वनीकरण चौकीदार (12 माह)	0.5347 है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	3099.12
7	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.5347 है०	320.00	171.10

योग- तृतीय चरण					5137.77
चतुर्थ चरण (रख रखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक 12 माह	0.5347	है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	3099.12
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.5347	है०	320.00	171.10
योग- चतुर्थ चरण					3270.23
पंचम चरण (रख रखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकी दार का पारिश्रमिक 12 माह	0.5347	है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	3099.12
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.5347	है०	320.00	171.10
योग- पंचम चरण					3270.23
छठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.5347	है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	3099.12
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.5347	है०	320.00	171.10
छठवां चरण का योग :-					3270.23
सातवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.5347	है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	3099.12
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.5347	है०	320.00	171.10
सातवां चरण का योग :-					3270.23
आठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.5347	है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	3099.12
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.5347	है०	320.00	171.10
आठवां चरण का योग :-					3270.23
नवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.5347	है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	3099.12
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.5347	है०	320.00	171.10
नवें चरण का योग :-					3270.23
दसवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.5347	है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	3099.12
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.5347	है०	320.00	171.10
दसवें चरण का योग :-					3270.23
कुल धनराशि					
उपप्रभाग प्रभुनाथकारी जिला उप वन प्रभाग रुद्रप्रयाग				प्रथम चरण	59394.55
				द्वितीय चरण	16974.78
				तृतीय चरण	5137.77
				चतुर्थ चरण	3270.23
				पंचम चरण	3270.23
				षष्ठम चरण	3270.23
				सप्तम चरण	3270.23
				अष्टम चरण	3270.23
				नवम चरण	3270.23
				दशम चरण	3270.23
				कुल योग	104398.68
				कुल योग—	104398.68
				या	104399.00

उपप्रभारिता वनाधिकारी
जजाली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित-----X-----स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

लागू नहीं


वन क्षेत्राधिकारी,


उपप्रभाग वन अधिकारी
जखाली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


प्रभाग वन अधिकारी,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग।

MUCK DISPOSAL PLAN

Name of Work: Construction of Chaumasi to Nivettar Motor road Under State sector.

Muck Received From Hill Side Cutting

Road length		Average Cutting Width		Average Cutting Height	
Forest land	550 m	3.5 m		3 m	
Nap land	450 m	2.5 m		2 m	

Material Received from hill side Cutting

For Forest Land $\frac{1}{2} \times 550 \times 3.5 \times 3 = 2887.50 \text{ Cum}$

For Nap land $1 \times 450 \times 2.5 \times 2 = 2250.00 \text{ Cum}$

Total muck = 5137.50 Cum ----- A

Assuming 40% swelling of muck so muck received $(A+40\%A) = 7192.50 \text{ Cum} \text{ ----- B}$

Material Utilized in the Project

Assume 40% boulders and 60% soil in the Muck

Quantity of Boulders received from muck (40% of B) 2877 Cum ----- C

Boulders used as :- (a) RR Stone Masonary (60% of C) 1726.2 Cum

(b) HP Stone Filling (20% of C) 575.4 Cum

(c) Wirecrates and parapits (10% of C) 287.7 Cum

(d) Granular sub base/ base (10% of C) 287.7 Cum

Total Boulders utilized 2877 Cum

Soil used in filling for Half cutting-Half filling method (assume 40% of "B-C") 1726.2 Cum ----- D

Muck left for disposal (B-C-D) **2589.30 Cum**

Disposal of Muck/loose soil in Dumping Zones

Sl. No.	Location	Size of Dumping yard			Type of Land/ Name of owner	Area (Ha.)	Capacity (Cum)	Latitude/ Longitude
		L(m)	B(m)	H(m)				
1	Ch. 0/0	40	30	1	Civil Land	0.120	1200	79°04'15.28" E 30°36'35.60" N
2	Ch. 0/30	50	50	1	Civil Land	0.250	2500	79°04'28.08" E 30°36'58.62" N

0.37 Hec

Total Capacity of Dumping Zones - 3700 Cum

Total Muck need to be disposed - 2589.3 Cum

Balance Debris - NIL


कनिष्ठा अभियन्ता
लो० नि० वि०
ऊखीमठ

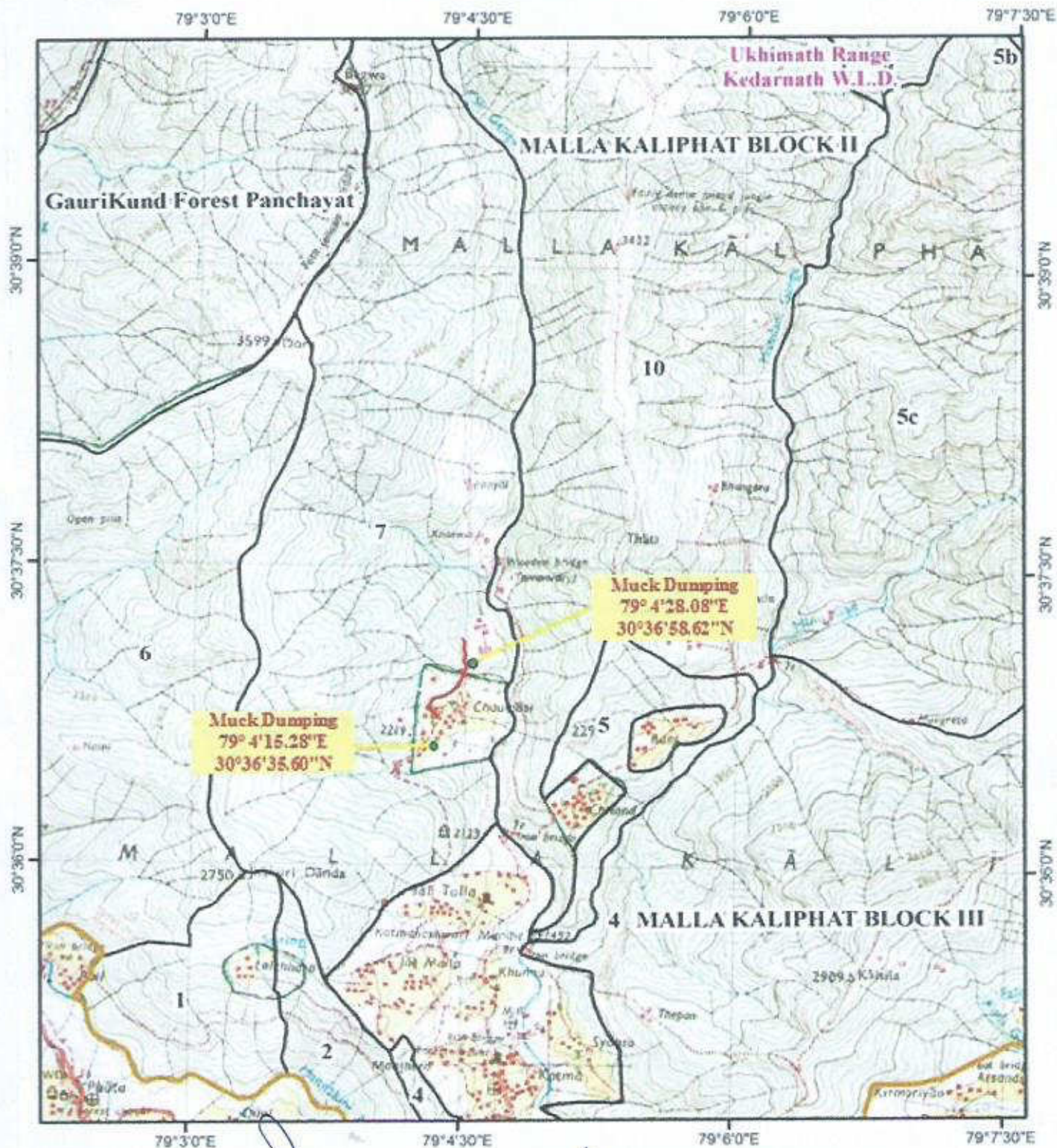

सहायक अभियन्ता
लो० नि० वि०
ऊखीमठ (प्रशासन)


अधिशारी अभियन्ता
लो० नि० वि०
ऊखीमठ

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग

डिजिटल मानचित्र – जनपद रुद्रप्रयाग में विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में चौमासी से निवृत्तर मोटर मार्ग का निर्माण

0 0.5 1 2 Km



Legend

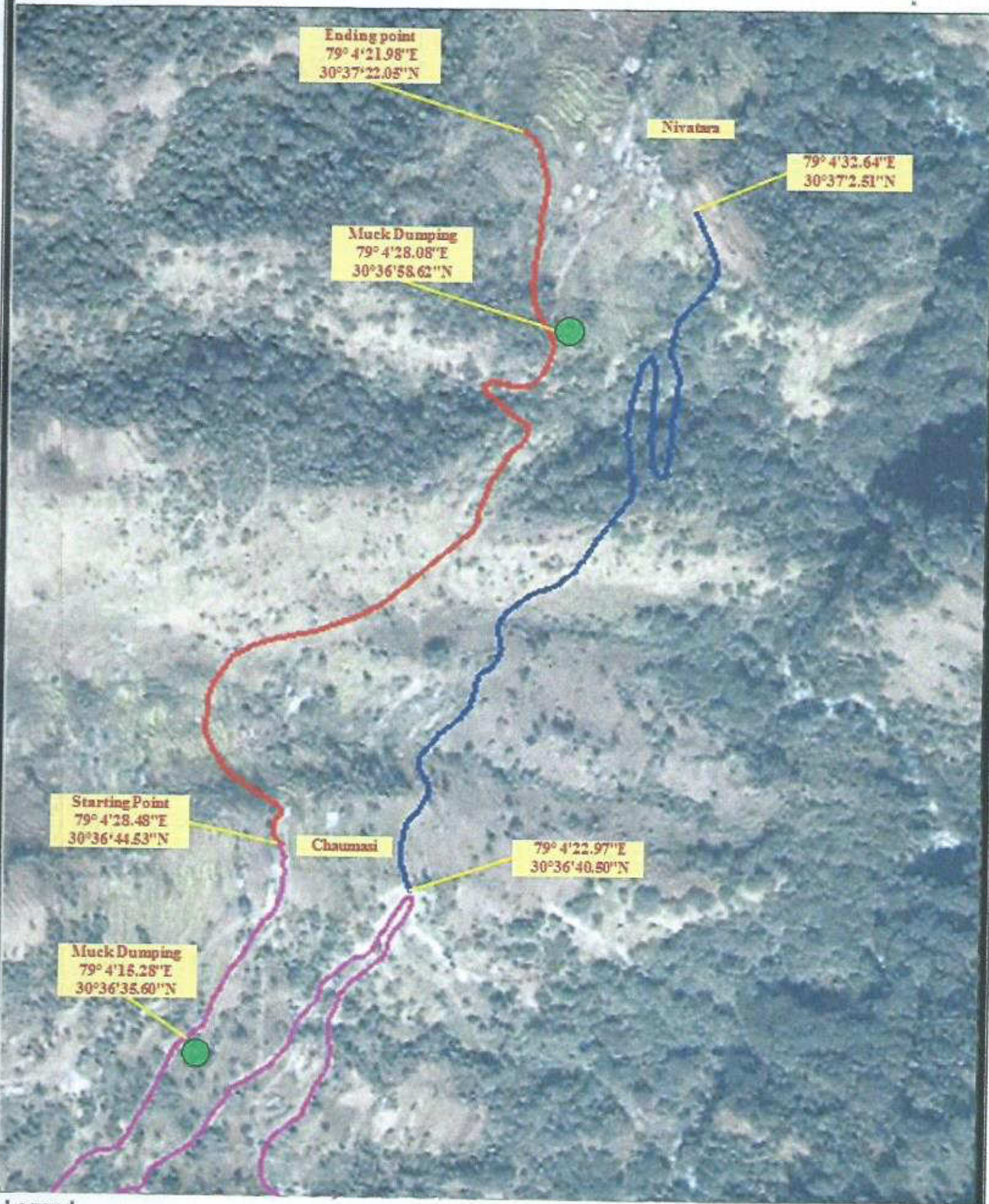
- Proposed Road
- Range Boundary
- Reserve Forest Boundary
- Muck Dumping Zone

हस्ताक्षर
अ.क.सि.मठ
रुद्रप्रयाग

वधिवार्ता अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०/नि० विभाग
रुद्रप्रयाग

हस्ताक्षर
रुद्रप्रयाग

डिजिटल मानचित्र – जनपद रुद्रप्रयाग में विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में
चौमासी से निवत्तर मोटर मार्ग का निर्माण



Legend
 PROPOSED ROAD EXISTING ROAD MUCK DUMPING ZONE ALTERNATE ROAD

S.E

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the map, including the name 'R.S. 1' and other official markings.

कन-मौमाली से विपत्तर मोहर आर पिर मगडमिगे सेह का चेतुस्त विदीक्षण ली ००ने० वि० कुम्भीमठ
 सेन की कनदि २०६० चसाम ३०° ३६' ०६०" हेमान्त ०७० ०४' २६१" मगडमिगे सेन में जाने वाले बसें की

मगडमिगे सेन का क्षेत्रफल १० मी० x ५० मी० = ५०० वर्ग मी० में जाने वाले बसें की गणना करने की। निम्न अनुसार
 मौमाली विधि अनुसार।

बसों की प्रजाति	०-१०	१०-२०	२०-३०	३०-४०	४०-५०	५०-६०	६०-७०	७०-८०	८०-९०	९० से ऊपर	योग	
बस	—	२	१	—	—	—	—	—	—	—	३ बसें	
योग	—	२	१	—	—	—	—	—	—	—	३ बसें	

अतः गणना करने सेवा में सहभाग्य प्रकृत,

(~~प्रदीप कुमार~~)
 कनिष्ठ अभियन्ता
 लो० वि० वि०
 कुम्भीमठ

(~~पी० एच० असवाल~~)
 वन-छरोगा
 विकासी अनुमय

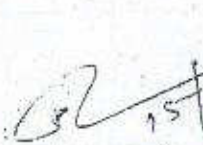
(~~दीप प्रसाद जैसवाल~~)
 वन-छारणी
 विकासी वीट

ये निम्न मोटे मार्ग पर द्वितीय मंडल में क्षेत्र का खेती क्षेत्र लो० वि० वि० कमीशन के साथ में मंडल में
 में जाने वाले पेड़ों की गणना करनी, क्षेत्र की लंबाई 2117 मी० अक्षांश 30° 36' 49" देशान्तर 074° 04' 46"
 तीसरे मंडल में 50 x 50 मी० 250 वर्ग मी० में जाने वाले पेड़ों की गणना करनी, जो नाली सिंचित क्षेत्र।
 इसका ब्यापक वर्ग

वृक्षों की प्रजाति	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से ऊपर	योग
बौंग	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
अमरुते	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
योग	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3

अतः गणना करनी क्षेत्र कार्य सेवा में है।

(
 (पी० एस० सहस्रबुधे)
 कृषि वि० अधिकारी
 लो० वि० वि०
 कमीशन

(
 (पी० एस० सहस्रबुधे)
 वन वि०
 जलवासी अनुभाग

(
 (पी० एस० सहस्रबुधे)
 वन वि०
 जलवासी वि०

प्रस्तावित मोटर मार्ग के रिक्त पड़े स्थलो पर वृक्षारोपण का कार्य

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्त तक मोटर मार्ग के नव निर्माण (0.385 है०) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 1.00 किमी०)

वृक्षारोपण स्थल का कुल क्षेत्रफल :- 1.00 किमी०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या- (100 पौध / प्रति किमी०) $100 \times 1.50 = 150$ पौध

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रेंज - गुप्तकाशी यूनिट

प्रथम चरण

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग-
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.3850 है०	81.000	31.185
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	0.3850 है०	2627.000	1011.395
3	ट्री गार्ड करना	150.0 है०	1400.000	210000.000
4	गडढा खुदान (0.30x0.30x0.45)	150.0 गडढा	5.600	840.000
5	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	150.0 पौध	4.400	660.000
6	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज कराना,	0.3850 है०	645.000	248.325
	योग - प्रथम चरण			212790.905

द्वितीय चरण

1	गडढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45) र प्रति 100)	150.0 पौध	1.00	1.50
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	150.0 पौध	1.25	187.50
3	ट्री गार्ड ढुलान करना	150.0 L.S.	145.000	21750.000
4	ट्री गार्ड गाढ़ना एवं फिक्स करना	150.0 L.S.	125.000	18750.000
5	50 बैग पौध का ढुलान वाहन से 25 कि०मी०	150.0 पौध	6.20	232.50
6	पौधारोपण व थालाबन्दी	150.0 पौध	1.95	292.50
7	निराई गुडाई व मल्लिंग (दो बार)	150.0 पौध	1.15	172.50
8	खाद व दवा पर व्यय	0.3850 है०	1000.00	385.00
9	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	0.3850 है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	2231.46
10	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, गोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पालीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार	0.3850 है०	8057.00	3101.95
	योग- द्वितीय चरण			47104.91
	योग- प्रथम चरण+द्वितीय चरण			259895.81

तृतीय चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.3850 है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	2231.46
3	अन्य कार्य	0.3850 है०	320.00	123.20
	योग- तृतीय चरण			2354.66

चतुर्थ चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.3850 है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	2231.46
2	अन्य कार्य	0.3850 है०	320.00	123.20
	योग- चतुर्थ चरण			2354.66

पंचम चरण

रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.3850	है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	2231.46
अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.3850	है०	320.00	123.20
योग- पंचम चरण				2231.46

छठवां चरण

रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.3850	है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	2231.46
अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.3850	है०	320.00	123.20
छठवां चरण का योग :-				2354.66

सातवां चरण

रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.3850	है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	2231.46
अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.3850	है०	320.00	123.20
सातवां चरण का योग :-				2354.66

आठवां चरण

रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.3850	है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	2231.46
अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.3850	है०	320.00	123.20
आठवां चरण का योग :-				2354.66

नवां चरण

रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.3850	है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	2231.46
अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.3850	है०	320.00	123.20
नवें चरण का योग :-				2354.66

दसवां चरण

रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.3850	है०	483 प्रतिमाह / प्रति है०	2231.46
अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.3850	है०	320.00	123.20
दसवें चरण का योग :-				2354.66

कुल धनराशि

अपभोगीय नाथिकी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रथम चरण	212790.91
द्वितीय चरण	47104.91
तृतीय चरण	2354.66
चतुर्थ चरण	2354.66
पंचम चरण	2231.46
षष्ठम चरण	2354.66
सप्तम चरण	2354.66
अष्टम चरण	2354.66
नवम चरण	2354.66
दशम चरण	2354.66
कुल योग	278609.89
कुल योग—	278609.89

क्षलिंग के अनुसार देय दर / 200000.00 रु०/किमी०

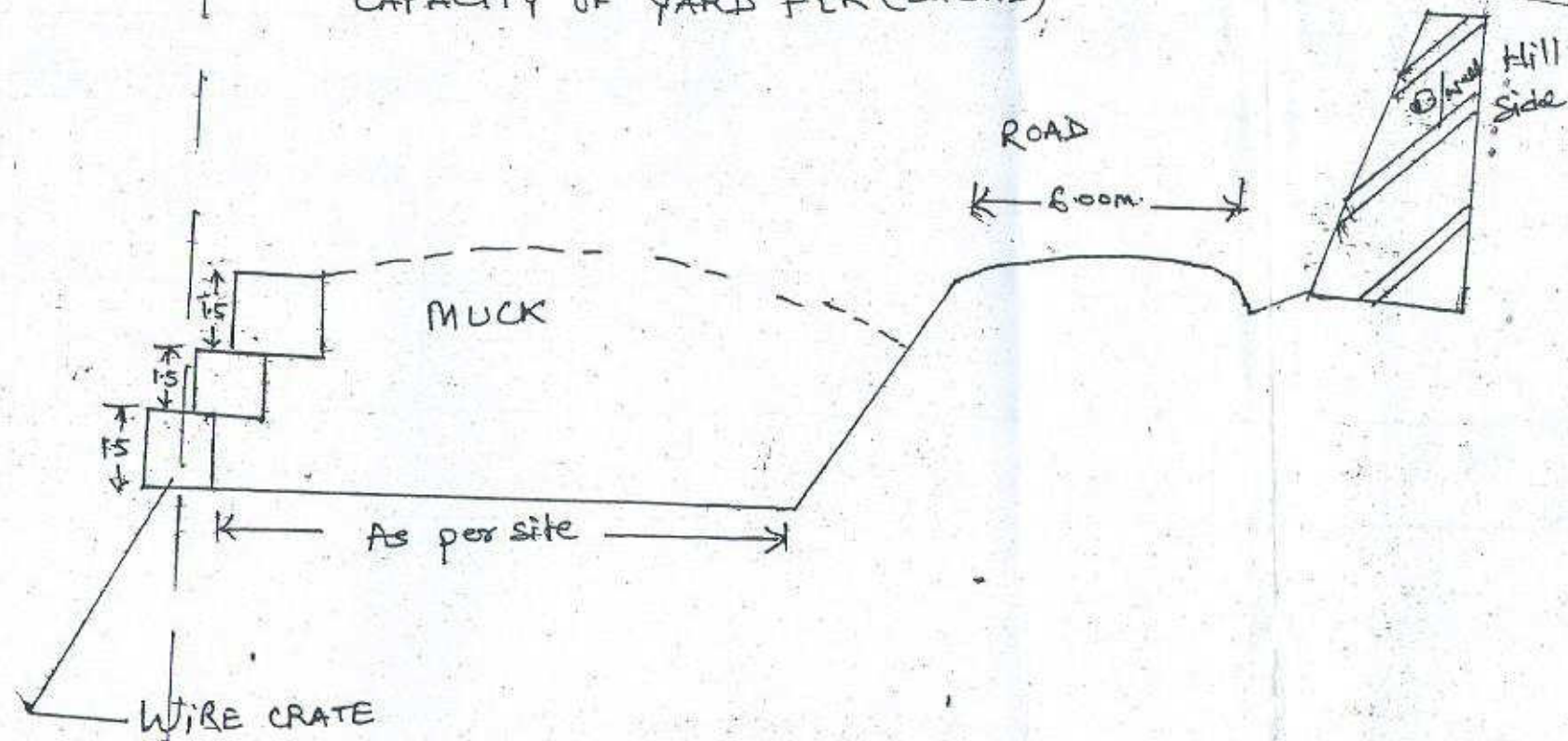
1.5000

K.M.

300000.00

अपभोगीय नाथिकी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

LENTH OF YARD AS PER SITE
CAPACITY OF YARD PER (LXBXD)



Typical Section of muck disposal yard.

~~JE~~

~~A.E~~

~~अधिशष्टी अभियन्ता~~

सहायक अभियन्ता
विमान खण्ड जोड वि.
ऊर्जागठ (सहप्रमाण)

निर्माण खण्ड जोड वि.
ऊर्जागठ (सहप्रमाण)

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योलना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

एन. पी.वी. की धनराशी का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3 /2007-एफ.सी. दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन.पी.वी. देयता निम्नानुसार है।

1. ईको - क्लास श्रेणी----- V
2. हरियाली का घनत्व ----- 0.20
3. एन.पी.वी. की दर प्रति है.----- 657000/-
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल----- 0.75 ha
5. कुल देय एन.पी.वी. की धनराशी----- 4,96,035/-

उपप्रभाग प्रमुख/प्रमुख
जनजातीय उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय तहसीलारी
रुद्रप्रयाग
प्रभागीय सहायक अधिकारी,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग।

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

एन. पी.वी. की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना के लिए प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर.सी.सी. पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन / सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	इकाई/संख्या	ल.(मी.)	चौ.(मी.)	ऊचाई (मी.)	मात्रा	इकाई	दर (रु.में)	धनराशी (रु.में)
1	आर.सी.सी.पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खोदना	1X.1 1/2	1.00	0.50	0.70	0.175 cum		237.50 (75476) 16-1	41.56
2	आर.सी.सी.पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना	1X.1					L.50	200	200.00
3	1.2.4 सीमेन्ट मसाले में आर.सी.सी.पिलर का निर्माण	1X.1 1X.1	1.00 0.30	0.50 0.30	0.10 1.20	0.05 0.108 0.158 cum		6905.40 (75328) 12-5-2-1	1091.05
4	आर.सी.सी.पिलर कार्य हेतु सरिया क्रय करना					0.158X 78.50 X 1 1/2 = 0.124 0.124 cum	per cum	6310.00	782.62
5	पिलर में 1.4 मसाले प्लास्टर कार्य	4X.1 1X.1	0.30 0.30	— 0.30	1.20 —	1.14 0.109 cum	Sent	132.70 (75313) 12-3	163.22
6	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना	1X.1				250.00			250.00
7	पानी की डुलाई आदि							500	500.00
	कुल योग								3058.45
									211 3058.45

वन क्षेत्राधिकारी,

उपप्रभागीय क्षेत्राधिकारी
जनपद रुद्रप्रयाग

प्रभागीय क्षेत्राधिकारी
जनपद रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-45

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

लीज अवधि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित राज्य वन भूमि के लिए लीज अवधि का प्रमाण पत्र लागू नहीं है।



कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चौमासी से निवृत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वन क्षेत्राधिकारी,


उपप्रभागीय वनाधिकारी
जखोली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग उप वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग।